रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 194] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 1, 2015/चैत्र 11, 1937
No. 194] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 1, 2015/CHAITRA 11, 1937

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2015

सा.का.नि. 246(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय/प्रादेशिक जैव-उर्वरक विकास केंद्र (समूह "ग" और "घ" पद) भर्ती नियम, 1985, जिनका संबंध ड्राइवरों और केंद्रीय उर्वरक नियंत्रण प्रयोगशाला, फरीदाबाद (समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 1979 से है, जिनका संबंध ड्राइवर के पदों से है, को उन बातों के अतिरिक्त अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग के अधीन राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र, गाजियाबाद और इसके प्रादेशिक केंद्रों और केंद्रीय उर्वरक क्वालिटी नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद और इसके क्षेत्रीय नियंत्रण प्रयोगशालाओं में समूह "ग" पदों स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण श्रेणी), स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-।।), स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-।) और समूह "ख" पद स्टाफ कार ड्राइवर (विशिष्ट श्रेणी), पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भः (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र सहित अपने प्रादेशिक जैविक खेती केंद्रों और केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान सहित प्रादेशिक उर्वरक नियंत्रण प्रयोगशाला स्टाफ कार ड्राइवर (समूह "ख" और समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. लागू होना: ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैण्ड और ग्रेड वेतन या वेतनमानः पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैण्ड तथा ग्रेड **वेतन** या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं आदि: उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता: वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, जहां तक इसका संबंध स्टाफ कार चालक (विशिष्ट श्रेणी) से है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैन्ड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. स्टाफ कार ड्राइवर (विशिष्ट श्रेणी)	01* (2015) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह ' ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैन्ड-2 9300-34800 रुपए ग्रेड वेतन 4200 रूपये सहित	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति; क्या भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति वेतन बैन्ड-1, 5200-20200 रुपए ग्रेड वेतन 2800 रू. सहित ऐसे स्टाफ कार ड्राइवर श्रेणी-I, जिन्होंने राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र और इसके प्रादेशिक केंद्रों और केंद्रीय उर्वरक क्वालिटी नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान और इसकी प्रादेशिक प्रयोगशालाओं सहित उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो। **टिप्पण 1** – जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण 2** – प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से, जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।	**समूह 'ख'** विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए):— 1. निदेशक, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र - अध्यक्ष 2. निदेशक, केंद्रीय उर्वरक क्वालिटी नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान – सदस्य 3. उप सचिव (समेकित पोषक तत्व प्रबंधन) या अवर सचिव (समेकित पोषक तत्व प्रबंधन), कृषि और सहकारिता विभाग – सदस्य 4.वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र - सदस्य 5. प्रशासनिक अधिकारी, केंद्रीय उर्वरक क्वालिटी नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान – सदस्य	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. स्टाफ कार ड्राइवर श्रेणी-I	04* (2015) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैन्ड-1 5200-20200 रुपए ग्रेड वेतन 2800 रूपये सहित	अचयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति स्टाफ कार ड्राइवर श्रेणी-II,वेतन बैन्ड-1, 5200-20200 रुपए, ग्रेड वेतन 2400 रू. सहित, जिन्होंने राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र या उसके प्रादेशिक केंद्रों और केंद्रीय उर्वरक क्वालिटी नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान या उसकी प्रादेशिक प्रयोगशालाओं में पांच वर्ष की नियमित सेवा या स्टाफ कार चालक श्रेणी-II और स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण श्रेणी) की श्रेणी में पन्द्रह वर्ष संयुक्त सेवा की हो; और सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट व्यवसाय परीक्षण उत्तीर्ण किया हो।	**समूह 'ग'** विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) :— 1. निदेशक, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र –अध्यक्ष 2. निदेशक, केंद्रीय उर्वरक क्वालिटी नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान – सदस्य 3.ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र – सदस्य 4. प्रशासनिक अधिकारी, केंद्रीय उर्वरक क्वालिटी नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान – सदस्य 5. उप सचिव या अवर सचिव (समेकित पोषक तत्व प्रबंधन), कृषि और सहकारिता विभाग – सदस्य	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. स्टाफ कार ड्राइवर श्रेणी-II	03* (2015) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैन्ड-1 5200-20200 रुपए ग्रेड वेतन 2400 रूपये सहित	अचयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण श्रेणी), वेतन बैन्ड-1, 5200-20200 रुपए, ग्रेड वेतन 1900 रु. सहित, जिन्होंने राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र या उसके प्रादेशिक केंद्रों और केंद्रीय उर्वरक क्वालिटी नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान और उसकी प्रादेशिक प्रयोगशालाओं में नौ वर्ष की नियमित सेवा की हो और सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट व्यवसाय परीक्षण उत्तीर्ण किया हो।	**समूह 'ग'** विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) :- 1. निदेशक, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र - अध्यक्ष 2. निदेशक, केंद्रीय उर्वरक क्वालिटी नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान – सदस्य 3. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र - सदस्य 4. प्रशासनिक अधिकारी, केंद्रीय उर्वरक क्वालिटी नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान – सदस्य 5. उप सचिव या अवर सचिव (समेकित पोषक तत्व), कृषि और सहकारिता विभाग – सदस्य	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण श्रेणी)	03* (2015) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैन्ड-1 5200- 20200रु. ग्रेड वेतन 1900 रुपये सहित	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच। (भारत सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसरण में सरकारी सेवक के मामले में 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। **टिप्पण:-** आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) रोजगार कार्यालय के माध्यम से भर्ती किए जाने की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक - i) यान चलाने की विधि मान्य अनुज्ञप्ति होना; ii) मोटर यांत्रिकी का ज्ञान (वाहन की छोटी-मोटी त्रुटियों को दूर करने में अभ्यर्थी को योग्य होना चाहिए); iii) मोटर कार चलाने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव; और iv) मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं कक्षा उत्तीर्ण। **वांछनीय:-** होम गार्ड या सिविल स्वयंसेवक के रूप में तीन वर्ष की सेवा। टिप्पण 1: अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अर्हता और अनुभव में छूट दी जा सकती है यदि सक्षम प्राधिकारी के मतानुसार किसी स्तर पर ऐसा महसूस किया जाता है कि इन वर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हैं।	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती या पुनर्नियोजन के लिए दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा सशस्त्र बल के कार्मिकों के लिए: प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति या आमेलन वेतन बैन्ड-1, 5200- 20200 रुपए ग्रेड वेतन 1800 रु. सहित राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र या उसके प्रादेशिक केंद्रों और केंद्रीय उर्वरक क्वालिटी नियंत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद या उसकी क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं के नियमित समूह "ग" कर्मचारी जिन्होंने मोटर कार चलाने की परीक्षा देकर विधि मान्य चालन अनुज्ञप्ति प्राप्त की हो, जो गाड़ी चलाने में दक्ष हो, उसके न होने पर केन्द्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों के वे डिस्पैच राइडर जो नियमित आधार पर वेतन बैन्ड-1, 5200-20200 रुपए, ग्रेड वेतन 1800 रु. सहित स्तंभ (7) में उल्लिखित आवश्यक अहर्ताएं पूरी करते हों। सशस्त्र सेना के कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन:- सशस्त्र सेना के वे कार्मिक, जो सेवानिवृत्त होने वाले हैं या जिन्हें एक वर्ष के दौरान	**समूह 'ग'** विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) :- 1. निदेशक, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र - अध्यक्ष 2. निदेशक, केंद्रीय उर्वरक क्वालिटी नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान – सदस्य 3. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र - सदस्य 4. प्रशासनिक अधिकारी, केंद्रीय उर्वरक क्वालिटी नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान – सदस्य 5. उप सचिव (समेकित पोषक तत्व) या अवर सचिव (समेकित पोषक तत्व), कृषि और सहकारिता विभाग – सदस्य	लागू नहीं होता

स्थानांतरित किया जा सकता है और निधार्रित अर्हताएं रखते हों, उनके बारे में भी विचार किया जा सकता है। ऐसे कार्मिकों को रक्षा सेवा से उनकी सेवा निवृत्ति तक प्रतिनियुक्ति पर माना जाएगा और उसके बाद उन्हें पुनर्नियोजित माना जाएगा । **टिप्पण :** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा. संख्या 6-2/2014-आईएनएम]

भैरव दत, अवर सचिव (आईएनएम)

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 2015

G.S.R. 246 (E).— In exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of Constitution and in supersession of National/Regional Bio-fertilisers Development Centres (Group 'C' and Group 'D' posts) Recruitment Rules, 1985, in so far as they relate to the post of Drivers and Central Fertilizer Control Laboratory, Faridabad (Group 'C' posts) Recruitment Rules,1979, in so far as it relates to the posts of Driver, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to the Group 'C' posts of Staff Car Driver (Ordinary Grade), Staff Car Driver (Grade II), Staff Car Driver (Grade I) and Group 'B' post of Staff Car Driver (Special Grade) in the National Centre of Organic Farming, Ghaziabad including its Regional Centres and Central Fertilizer Quality Control and Training Institute, Faridabad including its Regional Fertilizer Control Laboratories in the Department of Agriculture and Cooperation, Ministry of Agriculture, namely:-

1. Short title and commencement .-- (1) These rules may be called the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation, National Centre of Organic Farming including its Regional Centres of Organic Farming and Central Fertilizer Quality Control and Training Institute including Regional Fertilizer Control Laboratories Staff Car Drivers (Group 'B' and Group 'C' posts), Recruitment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on date of their publication in the Official Gazette.

2. Application. – These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale . – The number of posts, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit, qualification, etc.- the method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. Disqualification.- No person,-

(a) who has entered into or contracted marriage with a person having spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.- Where Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, in so far as it relates to the post of Staff Car Driver (Special Grade), relax any of provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit, and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay/ Pay Scale	Whether Selection or Non-Selection post	Age limit for Direct Recruits
1	2	3	4	5	6
1. Staff Car Driver (Special Grade)	01* (2015) * (Subject to variation dependent on workload)	General Central Service Group "B" Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-2 Rs.9300-34800 plus Grade Pay of Rs.4200/-	Selection	Not Applicable

Educational and other qualifications required for Direct Recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.	Period of probation, if any	Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
7	8	9	10
Not Applicable	Not applicable	Two years	By Promotion

In case of recruitment by promotion/deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
11	12	13
Promotion: Staff Car Driver Grade-I in the Pay Band-1 Rs.5200-20200 Grade Pay of Rs.2800/- with three years' regular service in the grade in National Centre of Organic Farming and its Regional Centres and Central Fertilizer Quality Control and Training Institute including its Regional laboratories. **Note1**: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation	**Group 'B' Departmental Promotion Committee (for promotion and confirmation) consisting of:** 1.Director, National Centre of Organic Farming - Chairman 2. Director, Central Fertilizer Quality Control and Training Institute - Member 3.Deputy Secretary (Integrated Nutrient Management) or Under Secretary (Integrated Nutrient Management), Department of Agriculture and Cooperation - Member. 4. Senior Administrative Officer, National Centre of Organic Farming - Member 5. Administrative Officer, Central Fertiliser Quality Control and Training Institute – Member	Not applicable

period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommend-dations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recom-mendations of the pay commission.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.Staff Car Driver Grade-I	04* (2015) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group "C" Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay Band-1, Rs.5200-20200 plus Grade Pay of Rs.2800/-.	Non-selection.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion

(11)	(12)	(13)
Promotion Staff Car Driver Grade-II in pay band-1 Rs.5200-20200 plus grade pay of Rs.2400 with five years of regular service in the grade or with a combined service of fifteen years in Staff Car Driver Grade-II and Staff Car Driver (Ordinary Grade) in National Centre of Organic Farming icluding its Regional Centres and Central Fertilizer Quality Control and Training Institute including its Regional laboratories; and have passed the trade test, specified by the Government.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1.Director, National Centre of Organic Farming - Chairman; 2. Director, Central Fertiliser Quality Control and Training Institute – Member; 3. Senior Administrative Officer, National Centre of Organic Farming – Member; 4. Administrative Officer, Central Fertiliser Quality Control and Training Institute – Member; 5. Deputy Secretary or Under Secretary (Integrated Nutrient Management), Department of Agriculture and Cooperation - Member.	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.Staff Car Driver Grade-II	03* (2015) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group "C", Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-1 Rs.5200-20200 plus Grade Pay of Rs.2400/-	Non-selection	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion

(11)	(12)	(13)
Promotion: Staff Car Driver (Ordinary Grade) in pay band-1, Rs.5200-20200 plus grade pay of Rs.1900/- in National Centre of Organic Farming including its Regional Centres and Central Fertilizer Quality Control and Training Institute including its Regional laboratories with nine years regular service in the grade and have passed the trade test, specified by the Government.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Director, National Centre of Organic Farming - Chairman; 2. Director, Central Fertiliser Quality Control and Training Institute – Member; 3. Senior Administrative Officer, National Centre of Organic Farming – Member; 4. Administrative Officer, Central Fertiliser Quality Control and Training Institute – Member; 5. Deputy Secretary or Under Secretary (Integrated Nutrient Management), Department of Agriculture and Cooperation - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.Staff Car Driver (Ordinary Grade)	03* (2015) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group "C" , Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-1, Rs.5200-20200 plus Grade Pay of Rs.1900/-	Not applicable	Between 18 to 27 years (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note**: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jamu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). In case of recruitment through Employment Exchanges, the crucial date shall be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: (i) possession of a valid driving license for motor cars; (ii) knowledge of motor mechanism (The candidate should be able to remove minor defects in vehicle); (iii) experience of driving a motor car for at least three years; and (iv) pass in 10^{th} standard from a recognised Board. **Desirable:** Three years' service as Home Guard or Civil Volunteers. **Note 1:** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that the sufficient number of candidates with requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	Not applicable.	Two years for direct recruits or re-employed.	Deputation/absorption failing which by direct recruitment. For Armed Forces Personnel : Deputation or re-employment.

(11)	(12)	(13)
Deputation or absorption:- From amongst the regular Group-'C' employees in pay band-1, Rs.5200-20200 plus grade pay of Rs.1800/- in the National Centre of Organic Farming, Ghaziabad including its Regional Centres and Central Fertiliser Quality Control and Training Institute, Faridabad including its Regional Laboratories, who possess valid driving license for motor cars on the basis of a driving test to assess the competence to drive motor cars, failing which from officials holding the post of Dispatch Rider on regular basis or regular Group 'C' employees in pay band 1, Rs. 5200-20200 plus grade pay of Rs. 1800/- in other Ministries of the Central Government, who fulfill the necessary qualifications as mentioned in column (7). Deputation or Re-employment for Armed Forces Personnel:- The Armed Forces Personnel due to	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Director, National Centre of Organic Farming - Chairman; 2. Director, Central Fertiliser Quality Control and Training Institute – Member; 3. Senior Administrative Officer, National Centre of Organic Farming – Member; 4. Administrative Officer, Central Fertiliser Quality Control and Training Institute – Member; 5. Deputy Secretary (Integrated Nutrient Management) or Under Secretary (Integrated Nutrient Management), Department of Agriculture and Cooperation - Member.	Not applicable

retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment. **Note:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation or absorption shall be "not exceeding fifty six years" as on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. 6-2/2014-INM]

BHERAV DUTT, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.